Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में भू–अभिलेख निरीक्षक एव पटवारी 6 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *30 जून, गुरूवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये शंकर लाल रैगर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत–नाथड़ियास, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा एवं लादूलाल रैगर पटवारी पटवार हल्का सगरेव अतिरिक्त चार्ज नाहरी, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा को परिवादी से 6 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पत्थरगढ़ी करने की एवज में शंकर लाल रैगर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत–नाथड़ियास, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा एवं लादूलाल रैगर पटवारी पटवार हल्का सगरेव अतिरिक्त चार्ज नाहरी, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा 10 **हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी भीलवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह चारण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री शिवप्रकाश** एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये शंकर लाल रैगर पुत्र श्री उदयलाल रैगर निवासी नान्दसा–क, पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाड़ा हाल भू–अभिलेख निरीक्षक वृत–नाथड़ियास, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा को 6 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लादूलाल रैगर पुत्र श्री मांगीलाल निवासी ओज्याड़ा, पुलिस थाना हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा हाल पटवारी पटवार हल्का सगरेव अतिरिक्त चार्ज नाहरी, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा को 6 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **2 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।